न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी- चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी -गितेश श्री मालवीय-RAS

प्रकरण संख्या- डी 79 सन-2022

पंजीयन दिनांक - 14/06/2022

- उनवान -

1. शिवा पिता अमरा जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
2. मुन्नी बाई पुत्री अमरा जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
3. सीताबाई पुत्री अमरा जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।

--- अपीलान्ट

वनाम

1. चित्रलेखा पत्नी महेंद्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
2. विजय सिंह पिता अमरा जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
3. वादरसिंह पिता अमरा जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
4. विहारी पिता अमरा जाति बंजारा ------- मृतक की वजाए

4/1. भवानी शंकर पिता विहारी जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।

4/2. कमला पत्नी विहारी जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।

4/3. लोकेश पिता दिलीप जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।

4/4. सांवरा पिता दिलीप जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।

4/5. पुष्पा बेवा दिलीप जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।

5. एसवीआई शाखा निंबाहेड़ा जरिए शाखा प्रवंधक एसवीआई निंबाहेड़ा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार निंबाहेड़ा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ

--- रेस्पोंडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी निंबाहेड़ा वमुकदमा नंबर 499/2018 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03-03-2020

उपस्थिति वक्त बहस-- छोगालाल जाट अधिवक्ता अपीलार्थीगण क्रमांक 1 से 3
शिवनारायण जाट अधिवक्ता रेस्पोंडेंट क्रमांक 1
रेस्पोंडेंट क्रमांक 2,3,4/1,4/2,4/3,4/4, 4/5,5 बावजूद सूचना अनुपस्थित
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट क्रमांक 6

निर्णय

दिनांक 18/05/2023

1. अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण प्रतिवादीगण व रेस्पोंडेंट क्रमांक 2 से 6 प्रतिवादीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पत्र 499/2018 अंतर्गत धारा 88,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश हुआ कि मौजा जावदा में रेस्पोंडेंट-1 वादिया के अधिपत्य की आराजी नंबर 1908 रकवा 0.8100 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि रेस्पोंडेंट-1 वादिया द्वारा अमरा बंजारा से मौखिक इकरार के आधार पर क्रय की। अमरा की मृत्यु होने पर उक्त भूमि अमरा के वारिसानों के नाम दर्ज हो गई जबकि विगत 15 वर्षों से रेस्पोंडेंट-1 वादिया का कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोंडेंट-1 वादियां के निवेदन पर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 द्वारा उक्त भूमि का विक्रय विलेख रेस्पोंडेंट-1 वादिया के नाम निष्पादित करवा दिया परंतु सहवन से इसमें वादग्रस्त आराजी के स्थान पर मौजा धीनवा की आराजी नंबर 254 रकबा 1.0400 है० अंकित हो गई जिसकी जानकारी भूमि विवाद के दौरान हुई। इसका फायदा उठाने की गरज से प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः उक्त वाद पेश करना पड़ा। वाद पत्र में दिनांक 03-03-2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में रेस्पोंडेंट-1 वादिया को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया व मौजा धीनवा की आराजी में वादिया का दर्ज 28/30 हिस्सा प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 6 के नाम दर्ज किया जाने का आदेश दिया। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है। इस अपील के साथ में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद कानून अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। अपील दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई की गई।

2 हमने उभयपक्ष के उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

3 अधिवक्ता अपिलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के मुख्य बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि मौजा जावदा में स्थित आराजी नंबर 1908 रकबा 0.8100 है० भूमि अमरा बंजारा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। अमरा बंजारा की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि इनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। रेस्पोंडेंट संख्या 1 चित्रलेखा द्वारा अमरा बंजारा से मौजा धीनवा की आराजी नंबर 254 रकबा 1.0400 है० क्रय की जिसका इंद्राज रेस्पोंडेंट के नाम पर हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय में पेश दावे के तथ्य विरोधाभासी है। मौजा जावदा की वादग्रस्त आराजी को कभी भी विक्रय नहीं किया गया था। रेस्पोंडेंट संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक हिस्सा नहीं बनता है अधीनस्थ न्यायालय में पेश दावा मृत व्यक्ति के विरुद्ध लाया गया है। वाद के विचाराधीन होने के दौरान वकील प्रतिवादीगण द्वारा हिदायत पैरवी नहीं करना जाहिर करने पर वाद में एकतरफा कार्यवाही की गई जिससे अपीलांटगण प्रतिवादीगण को जवाब देने का अवसर इत्यादि नहीं मिला। वाद में एक तरफा कार्यवाही होने से वाद में पारित निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी । इस कारण एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद कानून अधिनियम के तहत पेश किया है। अतः विलम्ब को विस्तारित किया जाए। इसके ठोस कारण मौजूद है।

4 प्रत्युतर में बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट-1 द्वारा कथन किया गया कि चित्रलेखा रेस्पोंडेंट-1 वादिया की तरफ से पेश किया गया दावा बिल्कुल सही है और सही तथ्यों पर आधारित है। रेस्पोंडेंट-1 वादिया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उक्त भूमि को क्रय किया। इससे पूर्व मौखिक इकरार से उक्त भूमि अमरा बंजारा से क्रय कर वर्ष 2002 से इस पर काबीज होकर काशत कर रही है। अतः एडवर्स पजेशन के आधार पर भी रेस्पोंडेंट-1 वादिया वादग्रस्त आराजी की घोषणा अपने पक्ष में कराने की अधिकारी है। अपीलान्ट प्रतिवादीगण दावे में जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए। नाम कायमी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुए थे। अपील मियाद बाहर पेश की गई है और विलम्ब को विस्तारित करने के ठोस कारण नहीं है। अतः मियाद कंडोन का आधार नहीं है। मियाद के बिंदु पर ही अपील खारिज की जानी चाहिए।

5, हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस का मनन किया,अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया और अपील पत्रावली पर मौजूद समस्त दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया।

6, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का अवलोकन किया और पाया गया कि विलंब के ठोस आधार है। अतः विलंब को कंडोन किया जाता है।

7, पत्रावली में पाया गया कि रेस्पोंडेंट-1 वादिया द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा बाबत पेश किया गया जिसे दिनांक 03-03-2020 को निर्णित किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में रेस्पोंडेंट-वादिया के पक्ष में वादग्रस्त आराजी मौजा जावदा की आराजी नंबर 1908 रकबा 0.8100 हेक्टेयर भूमि के खातेदारी अधिकार की घोषणा रेस्पोंडेंट-1 वादियां के पक्ष में की गई। साथ ही मौजा धीनवा में स्थित आराजी नंबर 254 रकबा 1.0400 हेक्टेयर भूमि में से रेस्पोंडेंट-1 वादिया का दर्ज 28/30 हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोंडेंट क्रमांक 2 व 4 प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 6 के नाम दर्ज किया जाने का आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई के उपरांत ही निर्णय पारित किया है। पत्रावली में मृत व्यक्तियों के विरुद्ध कायम मुकाम की कार्रवाई भी विधिवत संपन्न की गई हैं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त करने के कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील के तथ्य साबित नहीं होते हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि सम्मत है। प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है इसलिये अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

8. उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के परिणाम स्वरूप अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 79/2022 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी निंबाहेड़ा के प्रकरण संख्या 499/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03-03-2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्य प्रति के साथ लौटाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 18/05/2023 को सुनाया गया पत्रावली फेसल शुमार हो।

18/05/23.

(गितेश श्री मालवीय-आर.ए.एस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
चितौड़गढ़ (राज०)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- गितेश श्री मालवीय, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 79/2022/डिक्री

1. शिवा पिता अमरा जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
2. मुन्नी बाई पुत्री अमरा जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
3. सीताबाई पुत्री अमरा जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।

-अपीलान्ट

बनाम

1. चित्रलेखा पत्नी महेंद्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
2. विजय सिंह पिता अमरा जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
3. बादरसिंह पिता अमरा जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
4. बिहारी पिता अमरा जाति बंजारा मृतक की बजाए -------
   - 4/1. भवानी शंकर पिता बिहारी जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
   - 4/2. कमला पत्नी बिहारी जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
   - 4/3. लोकेश पिता दिलीप जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
   - 4/4. सांवरा पिता दिलीप जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
   - 4/5. पुष्पा बेवा दिलीप जाति बंजारा निवासी धीनवा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
5. एसबीआई शाखा निंबाहेड़ा जरिए शाखा प्रबंधक एसबीआई निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार निंबाहेड़ा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ

-रेस्पोडेन्टस

विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 499/2018 प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 03.03.2020 अन्तर्गत धारा 88,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 18.05.2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवनारायण जाट, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पूरणमल स्वर्णकार की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि-

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 79/2022 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी निंबाहेड़ा के प्रकरण संख्या 499/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03/03/2020 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,. ..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ..... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक **18.05.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

18/05/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ